

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

(4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ-226001)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के उपक्रम मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, द्वारा टू-अप वर्ष 2022-23, ए०पी०आर० वर्ष 2023-24 एवं सकल राजस्व आवश्यकता वर्ष 2024-25 की याचिका दिनांक 30.11.2023 को मा० आयोग में प्रस्तुत की गई थी। मा० आयोग ने अपने आदेश दिनांक 10.06.2024 द्वारा उक्त याचिका स्वीकार कर ली हैं। मा० आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में याचिका के मुख्य अंश उपभोक्ताओं, स्टैकहोल्डर्स एवं आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं।

क्र० सं०	विवरण	टू-अप	ए०पी०आर०	ए०आर०आर०
		वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	ऊर्जा क्रय (वितरण निगम की परिधि पर) (मि०यू०)	27,347	28,842	30,434
2	ऊर्जा विक्रय (मि०यू०)	23,228	24,448	26,112
3	अनुमोदित वितरण लाईन हानियाँ (%)	10.63%	10.26%	9.90%
	वास्तविक / प्रस्तावित वितरण लाईन हानियाँ (%)	15.06%	15.23%	14.20%
4	इन्ट्रा स्टेट पारेषण हानियाँ (%)	3.27%	3.22%	3.18%
	व्यय (रु० करोड़)			
5	ऊर्जा क्रय मूल्य (पी०जी०सी०आई०एल० सम्मिलित)	15,677.33	15,535.54	16,613.13
6	ट्रांसमिशन चार्ज (यू०पी०पी०टी०सी०एल०)	692.73	761.70	803.76
7	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	2,114.95	2,218.19	2,354.60
8	स्मार्ट मीटर ओपेक्स व्यय	24.19	28.89	325.23
9	ब्याज एवं वित्त प्रभाव (नेट ऑफ कैपिटालाईजेशन)	613.48	726.90	816.79
10	ह्रास	440.67	528.73	622.18
11	बैंड एवं डाउटफुल डेब्ट्स	274.16	296.41	321.86
12	सकल खर्च	19,837.50	20,096.37	21,857.56
13	रिटर्न ऑन इक्विटी	525.46	581.22	662.09
14	घटायें: अन्य आय	272.42	272.42	272.42
15	सकल राजस्व आवश्यकता	20,090.54	20,405.17	22,247.23
16	टैरिफ से प्राप्त राजस्व	13,707.75	14,820.62	16,092.90
17	राजकीय सहायिकी	3,692.08	3,840.02	3,840.02
18	राजस्व (अन्तर)/अतिरिक्त	(2,690.71)	(1,744.52)	(2,314.30)
19	ऊर्जा क्रय दर (Ex-bus) (रु०/यूनिट)		5.01	5.24
20	औसत ऊर्जा क्रय दर (बी०एस०टी०) (रु०/यूनिट)		5.31	5.49
21	डी०बी०एस०टी० दर (रु०/यूनिट)		5.39	5.46
22	औसत विक्रय दर (शासकीय सहायिकी छोड़कर) (रु०/यूनिट)		6.06	6.16
23	औसत आपूर्ति लागत (रु०/यूनिट)		8.35	8.52
24	व्हीलिंग चार्ज (रु०/यूनिट)			1.14

क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज वित्तीय वर्ष 2024-25		
क्र० सं०	उपभोक्ता श्रेणी	(रु० प्रति यूनिट)
1	एच०वी०-1 (आपूर्ति 11 के०वी० पर)	1.48
2	एच०वी०-1 (आपूर्ति 11 के०वी० से ऊपर)	2.87
3	एच०वी०-2 (आपूर्ति 11 के०वी० तक)	0.20
4	एच०वी०-2 (आपूर्ति 11 के०वी० से ऊपर एवं 66 के०वी० तक)	0.62
5	एच०वी०-2 (आपूर्ति 66 के०वी० एवं 132 के०वी० से ऊपर)	0.47
6	एच०वी०-3 (मेट्रो ट्रेक्शन)	1.70
7	एच०वी०-4 (आपूर्ति 11 के०वी० पर)	1.42
8	एच०वी०-4 (आपूर्ति 11 के०वी० से ऊपर एवं 66 के०वी० तक)	1.87

टू-अप, ए०पी०आर० एवं ए०आर०आर० याचिका, आयोग द्वारा प्रेषित डिफिसियेन्सी नोट के उत्तर, निगम की वेबसाइट (www.mvvn1.in) पर उपलब्ध हैं। समस्त स्टेक-होल्डर, आम जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड शपथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूती खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को तथा दो प्रतियाँ प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ-226001 को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं।

प्रबन्ध निदेशक
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०

राष्ट्रहित में बिजली बचायें